



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



12 आषाढ़ 1946 (श०)

संख्या - 21 राँची, बुधवार

3 जुलाई, 2024 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 282- 311 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक — ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

28 मार्च, 2024

सं०सं०-03/नि०सं०-09-42/2015 का०-2379--श्री राकेश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 25/20), उप सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा उपभोग की गई अवकाश अवधि दिनांक 11.09.2023 से 26.09.2023 तक (कुल 16 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 तथा 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

31 मार्च, 2024

सं०सं०-02/नि०सं०-12-17/2017 का० 3696--स्व० रुपेश कुमार सिन्हा, भूतपूर्व झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 145/20) तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, पलामू द्वारा उपभोग की गई अवकाश अवधि दिनांक 06.03.2009 से 21.03.2009 तक एवं दिनांक 10.11.2016 से 03.02.2021 तक को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,

सरकार के अवर सचिव ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-01स्था0- 97/2020 - 1116--वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-**245 (1)** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष- **2024** के लिए पंचम् झारखण्ड विधानसभा की शेष अवधि हेतु **विशेषाधिकार समिति** का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1- अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा	स०वि०स०	सभापति,
2- संसदीय कार्यमंत्री, झारखण्ड सरकार	स०वि०स०	सदस्य,
3- सभापति, जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति	स०वि०स०	सदस्य,
4- सभापति, सरकारी आश्वासन समिति	स०वि०स०	सदस्य,
5- सभापति, गैर सरकारी संकल्प समिति	स०वि०स०	सदस्य ।

विशेष आमंत्रित सदस्य

- 1- सभापति, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति ।
- 2- सभापति, सदाचार समिति ।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा इस समिति के सभापति एवं सभा-सचिव इसके सचिव होंगे ।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पंचम् विधानसभा की शेष अवधि अथवा समिति का पुर्नगठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-01स्था0- 97/2020 - 1118--वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 229 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष- 2024 के लिए पंचम् झारखण्ड विधानसभा की शेष अवधि हेतु **याचिका समिति** का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1- अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा	स०वि०स०	सभापति,
2- श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	स०वि०स०	सदस्य,
3- डॉ० नीरा यादव	स०वि०स०	सदस्य,
4- श्री अमित कुमार मण्डल	स०वि०स०	सदस्य,
5- श्री लम्बोदर महतो	स०वि०स०	सदस्य।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा इस समिति के सभापति एवं सभा-सचिव इसके सचिव होंगे ।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पंचम् विधानसभा की शेष अवधि अथवा समिति का पुर्नगठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-01स्था0- 97/2020 - 1120 --वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- **250(1)** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष-2024 के लिए पंचम् झारखण्ड विधानसभा की शेष अवधि हेतु **नियम समिति** का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1- अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा	स०वि०स०	सभापति,
2- सभापति, लोक-लेखा समिति	स०वि०स०	सदस्य,
3- सभापति, प्राक्कलन समिति	स०वि०स०	सदस्य,
4- सभापति, सामान्य प्रयोजन समिति	स०वि०स०	सदस्य,
5- सभापति, सदाचार समिति	स०वि०स०	सदस्य।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा इस समिति के सभापति एवं सभा-सचिव इसके सचिव होंगे ।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पंचम् झारखण्ड विधान-सभा की शेष अवधि अथवा समिति का पुर्नगठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-01स्था0- 97/2020- 1122--वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- **237(1)** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष-2024 के लिए पंचम् झारखण्ड विधानसभा की शेष अवधि हेतु **लोक लेखा समिति** का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

01-श्री नीलकंठ सिंह मुंडा	स०वि०स०	सभापति,
02-श्री कोचे मुंडा	स०वि०स०	सदस्य,
03-श्री अनन्त कुमार ओझा	स०वि०स०	सदस्य,
04-श्री आलोक कुमार चौरसिया	स०वि०स०	सदस्य,
05-श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	स०वि०स०	सदस्य,
06-श्री सुदिव्य कुमार	स०वि०स०	सदस्य,
07-श्री दिनेश विलियम मराण्डी	स०वि०स०	सदस्य,

श्री नीलकंठ सिंह मुंडा स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा-सचिव इसके सचिव होंगे ।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पंचम् झारखण्ड विधानसभा की शेष अवधि अथवा समिति का पुर्नगठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-01स्था0- 97/2020- 1124--वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- **253(1)** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष-2024 के लिए पंचम् झारखण्ड विधान-सभा की शेष अवधि हेतु **प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति** का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

01- श्री बैद्यनाथ राम	स०वि०स०	सभापति,
02- श्री अमित कुमार मंडल	स०वि०स०	सदस्य,
03- श्री राजेश कच्छप	स०वि०स०	सदस्य,
04- श्री समरी लाल	स०वि०स०	सदस्य।

श्री बैद्यनाथ राम, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा-सचिव इसके सचिव होंगे ।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पंचम् झारखण्ड विधान-सभा की शेष अवधि अथवा समिति का पुर्नगठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-01स्था0- 97/2020- 1126--वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- **223(1)** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष-2024 के लिए पंचम् झारखण्ड विधानसभा की शेष अवधि हेतु **आन्तरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति** का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

01- डॉ० इरफान अंसारी	स०वि०स०	सभापति,
02- श्री नवीन जायसवाल	स०वि०स०	सदस्य,
03- श्री नारायण दास	स०वि०स०	सदस्य,
04- श्री सोनाराम सिंक्	स०वि०स०	सदस्य।

डॉ० इरफान अंसारी,स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा-सचिव इसके सचिव होंगे ।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पंचम् झारखण्ड विधान-सभा की शेष अवधि अथवा समिति का पुर्नगठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय-----
अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-01स्था0- 97/2020- 1128--वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 257 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष-2024 के लिए पंचम् झारखण्ड विधानसभा की शेष अवधि हेतु **पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति** का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

01- श्री समीर कुमार महान्ती	स०वि०स०	सभापति,
02- श्री रणधीर कुमार सिंह	स०वि०स०	सदस्य,
03- श्री संजीव सरदार	स०वि०स०	सदस्य,
04- श्री जिगा सुसारण होरो	स०वि०स०	सदस्य,
05- श्री समरी लाल	स०वि०स०	सदस्य।

श्री समीर कुमार महान्ती,स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा-सचिव इसके सचिव होंगे ।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पंचम् झारखण्ड विधान-सभा की शेष अवधि अथवा समिति का पुर्नगठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-01स्था0- 97/2020 - 1130--वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- **223(1)** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष-2024 के लिए पंचम् झारखण्ड विधानसभा की शेष अवधि हेतु **विधायक निधि अनुश्रवण समिति** का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

- | | | | |
|----|------------------------------|---------|---------|
| 1- | श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह | स०वि०स० | सभापति, |
| 2- | श्री नवीन जायसवाल | स०वि०स० | सदस्य, |
| 3- | श्री संजीव सरदार | स०वि०स० | सदस्य, |
| 4- | श्री भूषण बड़ा | स०वि०स० | सदस्य। |

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा-सचिव इसके सचिव होंगे ।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पंचम झारखण्ड विधान-सभा की शेष अवधि अथवा समिति का पुर्नगठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-01स्था0- 97/2020 - 1132--वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-**223(1)** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष-**2024** के लिए पंचम् झारखण्ड विधान-सभा की शेष अवधि हेतु **शून्यकाल समिति** का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

01- श्री प्रदीप यादव	स०वि०स०	सभापति,
02- श्री कमलेश कुमार सिंह	स०वि०स०	सदस्य,
03- श्री आलोक कुमार चौरसिया	स०वि०स०	सदस्य,
04- श्री किशुन कुमार दास	स०वि०स०	सदस्य,
05- श्रीमती सुनीता चौधरी	स०वि०स०	सदस्या।

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा-सचिव इसके सचिव होंगे ।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पंचम् झारखण्ड विधान-सभा की शेष अवधि अथवा समिति का पुर्नगठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-01स्था0- 97/2020 - 1134--वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-223(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष-2024 के लिए पंचम् झारखण्ड विधानसभा की शेष अवधि हेतु **गैर सरकारी संकल्प समिति** का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

01- श्री केदार हजरा	स०वि०स०	सभापति,
02- श्री लोबिन हेम्ब्रम	स०वि०स०	सदस्य,
03- श्री सोनाराम सिंह	स०वि०स०	सदस्य,
04- श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता	स०वि०स०	सदस्य।

श्री केदार हजरा,स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा-सचिव इसके सचिव होंगे ।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पंचम् झारखण्ड विधान-सभा की शेष अवधि अथवा समिति का पुर्नगठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-01स्था0- 97/2020 - 1136--वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-**223(1)** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष-**2024** के लिए पंचम् झारखण्ड विधानसभा की शेष अवधि हेतु **अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति** का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

01- श्री रामचंद्र चंद्रवंशी	स०वि०स०	सभापति,
02- श्री मथुरा प्रसाद महतो	स०वि०स०	सदस्य,
03- श्री भानू प्रताप शाही	स०वि०स०	सदस्य,
04- श्री दिनेश विलियम मराण्डी	स०वि०स०	सदस्य।

श्री रामचंद्र चंद्रवंशी,स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा-सचिव इसके सचिव होंगे ।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पंचम् झारखण्ड विधान-सभा की शेष अवधि अथवा समिति का पुर्नगठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-01स्था0- 97/2020 - 1138---वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-223(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष-2024 के लिए पंचम् झारखण्ड विधान-सभा की शेष अवधि हेतु युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

01- श्री सुदेश कुमार महतो	स०वि०स०	सभापति,
02- श्री अनन्त कुमार ओझा	स०वि०स०	सदस्य,
03- श्री कुमार जय मंगल (अनूप सिंह)	स०वि०स०	सदस्य,
04- श्री किशुन कुमार दास	स०वि०स०	सदस्य।

श्री सुदेश कुमार महतो, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा-सचिव इसके सचिव होंगे ।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पंचम् झारखण्ड विधान-सभा की शेष अवधि अथवा समिति का पुर्नगठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-01स्था0- 97/2020 - 1140--वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 251 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष- 2024 के लिए पंचम् झारखण्ड विधानसभा की शेष अवधि हेतु **आवास समिति** का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1- श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	स०वि०स०	सभापति,
2- श्री जय प्रकाश भाई पटेल	स०वि०स०	सदस्य,
3- श्री सुखराम उरांव	स०वि०स०	सदस्य,
4- श्री भूषण बाड़ा	स०वि०स०	सदस्य।

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा-सचिव इसके सचिव होंगे ।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पंचम् विधानसभा की शेष अवधि अथवा समिति का पुर्नगठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-01स्था0- 97/2020 - 1142--वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- **231(1)** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष- **2024** के लिए पंचम् झारखण्ड विधानसभा की शेष अवधि हेतु **प्रत्यायुक्त विधान समिति** का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1- श्री विनोद कुमार सिंह	स०वि०स०	सभापति,
2- श्री अमित कुमार यादव	स०वि०स०	सदस्य,
3- श्री राज सिन्हा	स०वि०स०	सदस्य,
4- श्री राजेश कच्छप	स०वि०स०	सदस्य,
5- सुश्री अम्बा प्रसाद	स०वि०स०	सदस्य।

श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा-सचिव इसके सचिव होंगे।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पंचम् विधानसभा की शेष अवधि अथवा समिति का पुर्नगठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-01स्था0- 97/2020 - 1144--वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- **241(1)** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष- **2024** के लिए पंचम् झारखण्ड विधानसभा की शेष अवधि हेतु **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति** का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1- श्री सरयू राय	स०वि०स०	सभापति,
2- श्री भानू प्रताप शाही	स०वि०स०	सदस्य,
3- श्री जय प्रकाश भाई पटेल	स०वि०स०	सदस्य,
4- श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स०वि०स०	सदस्य,
5- श्री सुदिव्य कुमार	स०वि०स०	सदस्य।

श्री सरयू राय, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा-सचिव इसके सचिव होंगे।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पंचम् विधानसभा की शेष अवधि अथवा समिति का पुर्नगठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय-----
अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-01स्था0- 97/2020 - 1146--वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- **243** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष- **2024** के लिए पंचम् झारखण्ड विधानसभा की शेष अवधि हेतु **सरकारी आश्वासन समिति** का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1- श्री दशरथ गागराई	स०वि०स०	सभापति,
2- श्री कोचे मुंडा	स०वि०स०	सदस्य,
3- श्री नारायण दास	स०वि०स०	सदस्य,
4- श्रीमती शिल्पी नेहा तिकी	स०वि०स०	सदस्य।

श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा-सचिव इसके सचिव होंगे ।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पंचम् विधानसभा की शेष अवधि अथवा समिति का पुर्नगठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-01स्था0- 97/2020 - 1148--वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- **255(1)** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष- **2024** के लिए पंचम् झारखण्ड विधानसभा की शेष अवधि हेतु **जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति** का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1- श्री रामदास सोरेन	स०वि०स०	सभापति,
2- श्री सोनाराम सिंक्	स०वि०स०	सदस्य,
3- श्रीमती पुष्पा देवी	स०वि०स०	सदस्य,
4- श्री भूषण बाड़ा	स०वि०स०	सदस्य।

श्री रामदास सोरेन, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा-सचिव इसके सचिव होंगे।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पंचम् विधानसभा की शेष अवधि अथवा समिति का पुर्नगठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-01स्था0- 97/2020 - 1150--वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 239 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष- 2024 के लिए पंचम् झारखण्ड विधानसभा की शेष अवधि हेतु **प्राक्कलन समिति** का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1- श्री निरल पुरती	स०वि०स०	सभापति,
2- श्री मथुरा प्रसाद महतो	स०वि०स०	सदस्य,
3- श्री राज सिन्हा	स०वि०स०	सदस्य,
4- श्री बिरंची नारायण	स०वि०स०	सदस्य,
5- श्री संजीव सरदार	स०वि०स०	सदस्य।

श्री निरल पुरती, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा-सचिव इसके सचिव होंगे।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पंचम् विधानसभा की शेष अवधि अथवा समिति का पुर्नगठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

भाग 9-ख

निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ, इत्यादि।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ASHOK KUMAR VERMA, TEJASH KUMAR VERMA (अन्य नाम JAYSTIK KUMAR VERMA) का पिता, शपथ पत्र सं० 130, दिनांक 31 जनवरी, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र TEJASH KUMAR VERMA (जन्म तिथि - 14 दिसम्बर, 2008) के नाम से जाना जायेगा।

TEJASH KUMAR VERMA एवं JAYSTIK KUMAR VERMA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - BAIDAPAHARI,
P.O. - GADI BHARKATTA,
P.S. - BIRNI, O. P. BHARKATTA,
DIST. - GIRIDIH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SANJU PANDEY अन्य नाम SANJU PANDEY LAXMI DEVI पति SUDHIR PANDEY, शपथ पत्र सं० 123, दिनांक 7 जून, 2024 के अनुसार SANJU PANDEY के नाम से जानी जाऊँगी।

SANJU PANDEY एवं SANJU PANDEY LAXMI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - ASHOK ASHRAM, DIBDIH, DORANDA,
P.O. & P.S. - DORANDA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SAANU KUMAR अन्य नाम SONU MOCHI पिता ANURUDH MOCHI, शपथ पत्र सं० 175, दिनांक 10 जून, 2024 के अनुसार SAANU KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा।

SAANU KUMAR एवं SONU MOCHI दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - DHUMA,
P.O. - GURHA,
P.S. - TARHASI,
DIST. - PALAMU,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, VIJAY MUNDA, RAHUL MUNDA (अन्य नाम ROHIT MUNDA) का पिता, शपथ पत्र सं० 9265, दिनांक 5 जून, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र RAHUL MUNDA (जन्म तिथि - 9 अगस्त, 2009) के नाम से जाना जायेगा।

RAHUL MUNDA एवं ROHIT MUNDA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - JAKJOR,
P.S. - BASIA,
DIST. - GUMLA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BIRSA HEMROM, ANUP HEMROM (अन्य नाम BUDHU HEMROM) का पिता, शपथ पत्र सं० 25, दिनांक 8 मई, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र ANUP HEMROM के नाम से जाना जायेगा ।

ANUP HEMROM एवं BUDHU HEMROM दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - MANMANI,
P.O. - RAISEMLA,
P.S. - TORPA,
DIST. - KHUNTI,
PIN - 835227
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SANTOSH LAL SHARMA, AADARSH VAIBHAV RAJ (अन्य नाम UTKARSH SHARMA) का पिता, शपथ पत्र सं० 0461, दिनांक 28 मई, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र AADARSH VAIBHAV RAJ (जन्म तिथि - 6 फरवरी, 2008) के नाम से जाना जायेगा ।

AADARSH VAIBHAV RAJ एवं UTKARSH SHARMA दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VISHNUPURI,
P.O. - KADMA,
P.S. - KATKAMSANDI,
DIST. - HAZARIBAGH,
PIN - 825301
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RABINDRA ORAON अन्य नाम RAVI ORAON पिता Late BALBHADRA ORAON, शपथ पत्र सं० 236, दिनांक 11 जून, 2024 के अनुसार RABINDRA ORAON के नाम से जाना जाऊँगा।

RABINDRA ORAON एवं RAVI ORAON दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. & P.O. - BANAPIRI,
P.S. - RATU,
PRESENT P.S. - THAKURGAON,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835205
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SHUBHENDU PRIYADARSHI, DARSHAN PRIYADARSHI (अन्य नाम ARMAN) का पिता, शपथ पत्र सं० 01027, दिनांक 15 मार्च, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र DARSHAN PRIYADARSHI के नाम से जाना जायेगा।

DARSHAN PRIYADARSHI एवं ARMAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - PLOT NO. - 509, BHONDA ROAD,
DALADALI, NEAR PETROL PUMP, NAGARI,
P.S. NO. - 133, DALADALI,
P.O. - GUTUA,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RAJANIKANT PANDEY, VIRANG PANDEY (अन्य नाम ANSH PANDEY) का पिता, शपथ पत्र सं० 41, दिनांक 1 जून, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र VIRANG PANDEY के नाम से जाना जायेगा।

VIRANG PANDEY एवं ANSH PANDEY दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - BARKAGAON,
P.O. - RAJWADIH,
P.S. - DALTONGANJ,
DIST. - PALAMU,
PIN - 822118
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, LAWKUSH SINGH अन्य नाम LAWKUSH KUMAR SINGH पिता NIRANJAN KUMAR SINGH, शपथ पत्र सं० 65, दिनांक 10 जून, 2024 के अनुसार LAWKUSH SINGH के नाम से जाना जाऊँगा।

LAWKUSH SINGH एवं LAWKUSH KUMAR SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - SUNDAY MARKET,
P.O. & P.S. - RATU,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835222
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, DINESH KUMAR अन्य नाम DINESH KUMAR MAHTO पिता Late BERASI KUMAR, शपथ पत्र सं० 57, दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 के अनुसार DINESH KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा ।

DINESH KUMAR एवं DINESH KUMAR MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - TUNDHUL,
P.O. - BALALONG,
P.S. - NAGRI,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834004
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, URMILA KUMARI अन्य नाम URMILA DEVI पति DINESH KUMAR, शपथ पत्र सं० 58, दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 के अनुसार URMILA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी ।

URMILA KUMARI एवं URMILA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - TUNDHUL,
P.O. - BALALONG,
P.S. - NAGRI,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834004
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ELIAS PANNA, IGNATIUS PANNA (अन्य नाम EGNACIVS PANNA) का पिता, शपथ पत्र सं० 14, दिनांक 8 मई, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र IGNATIUS PANNA के नाम से जाना जायेगा।

IGNATIUS PANNA एवं EGNACIVS PANNA दोनों एक ही पुरुष का नाम हैं।

RESIDENT OF - VILL. - CHINGRI NAWA TOLI,
P.O. - BANARI,
P.S. - BISHUNPUR,
DIST. - GUMLA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, LALITA SINGH अन्य नाम KUMARI KALPANA पिता BIRENDRA KUNWAR, पति SRI BIPIN KUMAR SINGH, शपथ पत्र सं० 04, दिनांक 7 जून, 2024 के अनुसार LALITA SINGH के नाम से जानी जाऊँगी।

LALITA SINGH एवं KUMARI KALPANA दोनों एक ही महिला का नाम हैं।

RESIDENT OF - MAHABIR NAGAR,
NEAR DHANBAD DAIRY,
BARMASIA,
P.O. & DIST. - DHANBAD,
PIN - 826001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, FATIMA KHATOON अन्य नाम SHAFIQUE FATMA पिता MD. ISLAM ALAM, शपथ पत्र सं० 81, दिनांक 12 जून, 2024 के अनुसार FATIMA KHATOON के नाम से जानी जाऊँगी।

FATIMA KHATOON एवं SHAFIQUE FATMA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - RAHMAT COLONY, DORANDA,
P.O. & P.S. - DORANDA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ARUHI PRIYADARSHINI अन्य नाम ISHA PRIYADARSHINI पिता SHRI ARUN KUMAR SINGH, शपथ पत्र सं० 03243, दिनांक 11 जून, 2024 के अनुसार ARUHI PRIYADARSHINI के नाम से जानी जाऊँगी।

ARUHI PRIYADARSHINI एवं ISHA PRIYADARSHINI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - SHIV DAYAL NAGAR,
P.O. - KADMA,
P.S. - KATKAMDAG,
DIST. - HAZARIBAGH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ANUP GHOSH, SRIJAN GHOSH (अन्य नाम AANANYA SRIJAN) का पिता, शपथ पत्र सं० 6108, दिनांक 10 जून, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री SRIJAN GHOSH (जन्म तिथि - 25 मार्च, 2008) के नाम से जानी जायेगी।

SRIJAN GHOSH एवं AANANYA SRIJAN दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - HARANGANJ,
P.O. - HAZARIBAGH,
P.S. - SADAR,
DIST. - HAZARIBAGH,
PIN - 825301
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SATISH VERMA अन्य नाम SATISH SINHA पिता Late JANARDAN PRASAD, शपथ पत्र सं० 02, दिनांक 14 जून, 2024 के अनुसार SATISH VERMA के नाम से जाना जाऊँगा।

SATISH VERMA एवं SATISH SINHA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - GOURI SHANKAR NAGAR,
NAYA BASTI, KADRU,
P.O. - DORANDA,
P.S. - ARGORA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MOHAMMAD FARUK, AQSA ALI (अन्य नाम SANIA ALI) का पिता, शपथ पत्र सं० 281, दिनांक 12 जून, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री AQSA ALI (जन्म तिथि - 16 मार्च, 2007) के नाम से जानी जायेगी।

AQSA ALI एवं SANIA ALI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. & P.O. - IRBA, MADARSA MOHALLA,
P.S. - ORMANJHI,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SUSHILA DEVI अन्य नाम SUSHILA KUMARI एवं HUSLU DEVI पति RANJIT MAHTO, शपथ पत्र सं० 224, दिनांक 11 जून, 2024 के अनुसार SUSHILA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

SUSHILA DEVI, SUSHILA KUMARI एवं HUSLU DEVI तीनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - NIDHIYA,
P.O. - BIKUWADAG,
P.S. - KARRA,
DIST. - KHUNTI,
JHARKHAND
